एम.ए.सी.पी. संख्या ४६६/२०१८
१. भदई पुत्र ननू उम्र ३२ वर्ष
२. श्रीमती पूजा पत्नी श्री भदई उम्र ३१ वर्ष
३. ननू पुत्र स्व. जलू उम्र ६४वर्ष
निवासीगण ग्राम व पोस्ट बरल तहसील मोंठ जिला झाँसी उ.प्र.

-----याचीगण

प्रति

१. नदीम हुसैन पुत्र श्री नन्हे हुसैन निवासी ग्राम ईंधनपुर नगला थाना कुन्दरकी तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद उ.प्र.

..........चालक एवं पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. २१ बी एन ९९३६

२. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. शान्ति नगर सिविल लाइन्स, मुरादाबाद उ.प्र. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. कचहरी चौराहा झाँसी जिला झाँसी

.... बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. २१ बी एन ९९३६

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. १ के अधिवक्ता- श्री एम.आर. खान
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- सुश्री रजनी जैन

<u>०१.११.२०२०</u>

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३७बी पर याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी कि विद्वान अधिवक्तागण को न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३७बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। ३७बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ २,७०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३७बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ३७बी में दर्शित कुल ₹ २,७०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ३७बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३७बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३७बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ २,७०,००० (दो लाख सत्तर हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजेक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतका के क्रमशः पिता, माता व दादा हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २ व ३ क्रमशः ४०, ४० व २० % भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की याचीगण के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:56:02 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal Jhansi